

प्रेषक,

डॉ रामानन्द प्रसाद,  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुगाम-5

लखनऊ: दिनांक २३ अगस्त, 2012

विषय: कु० मायावती राजकीय महिला स्नामकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर को दी०ए० शारीरिक शिक्षा विषय की अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता/773, दिनांक 03-06-2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य राजकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक ए अधीन को कु० मायावती राजकीय महिला स्नामकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर दी०ए० शारीरिक शिक्षा विषय की निम्नलिखित शर्त के अधीन दिनांक 01.07.2012 से तीन वर्ष के लिए सम्बद्धता उपर्युक्त प्रदान कर दी है:-

महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यात्म वर्णित तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों और समय-समय पर शासन द्वारा निर्दिष्ट शासनादेशों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ रामानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-1122(1) / सत्र-5-2012, तददेनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
1- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।  
2- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गेरठ।  
3- प्राचार्य, शहीद संगल पाण्डेय राजकीय महाविद्यालय, माधवपुरम, गेरठ।  
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ रामानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव।

२०७४  
संवाद संग्रह / जी.एस.  
दिनांक/८/ अमृत, २००३

प्रेषण,

दो राज्यालय/कुलाधिपति के विशेष गान्धी,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

कुलाधिपति,  
यौवर्णी वरण रिहर विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

ग्रन्थालय,

आपके पश्च सछ्या -रामबद्धता/१६६ दिनांक २.६.२००३ के सम्बन्ध में मुझ उद्देश्य यह

कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के अधीन कु०मायावती राजकीय महिला महाविद्यालय, बादलापुर गौतमबुद्धनगर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेन, इतिहास संस्कृत, समजशास्त्र तथा स्नातक स्तर पर ही विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्रौद्योगिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत वी.काम विषयों में निम्नलिखित शब्दों के अधीन दिनांक ९.७.२००३ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहधं प्रदान वार दी जाएँ।

वार्षिक विद्यालय कक्षाएं प्रारम्भ करने से पूर्व उपरोक्त विषयों की प्रयोगशालाओं को मुख्यालय कर लेगा तथा शासन द्वारा प्राच्यालयों को व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जायेगी।

ग्रन्थी,


(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष गान्धी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहा हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०.७८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा नियोगी, इलाहाबाद।

प्राच्यालय, कु०मायावती राजकीय महिला महाविद्यालय, बादलापुर गौतमबुद्धनगर

(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष गान्धी



चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रक सम्बद्धता / १८४  
दिनांक ३०.५.२०१७

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-९७६/७९- वि-१-१४-१५(१९)२०१४ दिनांक १८.०७.२०१४ द्वारा अध्यादेश आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति के आलोक में मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एड० पाठ्यक्रम (१०० सीट) में स्वयंप्रेरित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०१७ से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

- ०१ स्थान द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (सशोधन) अध्यादेश-२००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) प्राधिकारित परन्तुक के अनुसार बी०एड० पाठ्यक्रम से पूर्व उपरोक्त संदर्भित कमियों का निराकरण कर दिया जायेगा एवं सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा सम्बद्धता आदेश स्वतं विरक्त माना जाएगा।
- ०२ स्थान/महाविद्यालय सशांत सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि सरथान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
- ०३ स्थान शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देश। एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। रिट यायिका संख्या-६१८५९/२०१२ से पारित आदेश दिनांक २०.१२.२०१२ के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-५२२/सत्तर-२-२०१३-२(६५०)/२०१२ दिनांक ३० अप्रैल, २०१३ का अनुपालन सरथान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जाये।
- ०४ यदि सरथा द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राधिकारों के अन्तर्गत सरथा को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की काययात्रा नियमानुसार की जायेगी।

अतः कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक १९.०५.२०१७ के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार गायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एड० पाठ्यक्रम (१०० सीट) में स्वयंप्रेरित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०१७ से सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निरेश व अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- १ सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-२ उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- २ सचिव मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
- ३ सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
- ४ प्रभारी, कर्मसुनील सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- ५ प्रभारी, स्टोर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- ६ प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- ७ प्रभारी, इटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संरथान/पाठ्यक्रम का नाम वेबसाइट पर डालना कष्ट करे।
- ८ गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव



पत्रांक : सम्बद्धता/1803  
दिनांक : 13-7-2018

### सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय-संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एस0सी0— जन्म विज्ञान (साईटोलोजी एण्ड साईटोजनेटिस्स) पाठ्यक्रम में कठिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2018 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्धित रहेगा।
02. कठिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सर्वांग सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कियों यथा—प्रामूल का नवीनीकरण, अग्रिम प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निश्चय किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सर्वांग सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसंचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 04.07.2018 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एस0सी0— जन्म विज्ञान (साईटोलोजी एण्ड साईटोजनेटिस्स) पाठ्यक्रम में उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2018 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रदेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

#### प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक कुलसंचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कर्मस्टी सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

मवद्धता

कुलसंचिव

कुलसंचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



CH

पत्रांक : सम्बद्धता / 4307

दिनांक : 17.1.2019

सेवा मे.

प्राचार्य,

कु ० मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वी०वॉक० पाठ्यक्रम (Medical Lab & Molecular Diagnostic Technology 2- Airline, Tourism & Hospitality Management) को संचालित किये जाने हेतु अपने प्रस्ताव का संदर्भ ग्रहण करे, उक्त के संदर्भ मे सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आहूत बैठक दिनांक 25.11.2018 के मद सख्ता-7 के संकल्प द्वारा माननीय कार्यपरिषद ने उपरोक्त पाठ्यक्रम को संस्थान में शैक्षिक सत्र 2018-19 (दिनांक 01.07.2018) से संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, कु ० मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
3. सहायक कलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कर्मटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल / परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान / पाठ्यक्रम का नाम ऐड्रेसाईट ५५ डालने का काष्ट करे।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव

B. Var. ५३/३  
Dr. D.C. Charan  
अवगत है।  
23.1.19

## SUMMARY.

As a unit of U.P. Government Higher Education, KMGGPG College G.B. Nagar, is providing the quality education to the girls of rural areas in order to achieve the empowerment of women. The increasing number of students is itself the proof of the continuous development. The College is also bound to develop the intellectual reasoning qualities of the students for their all-round development. Student Election is also conducted in every academic year to develop the leadership quality. B.A., B.Sc., B.Ed., B.Com., M.A., M.Sc., B.Voc and Add-on courses are being run successfully. Two study Centre funded by UGC, Dr. B.R. Ambedkar and Swami Vivekananda study Centre are being run efficiently. Short certificate course and lectures are arranged to promote the thoughts of these personalities. Unit of NCC, NSS and Rangers are registered in the college to make the girl students self-dependent, disciplined. A Gandhi Gallery is valuable part of the college in which philosophy and life history of Mahatma Gandhi has shown. Wall of Heroes paying its tribute to the soldiers who won Parma Veer Chakra, wall of freedom fighters. Solar system has been installed in M.Sc. Department for green initiative. Blue and green colored dustbins (to differentiate the waste material) have been kept at each and every corner of the college and charts name plates have been placed to donate the waste material. Most of the bulbs and tube lights of the college has been replaced with LED bulbs.

Ramps have been constructed in all the buildings for especially abled persons and students. Wheel-chair facility, brail-lipi and rest room are also available in the college for such students. Being situated in N.C.R region the college avails of various opportunities for all inclusive development of the students. The college is bound to follow the rules of ethics and codes of conduct enunciated by U.G.C and U.P. govt. A department council is established in each individual department for the comprehensive development of the students. This council energizes the students to enhance their leadership skill and promotes healthy competition. Around 46 students are enrolled in research work in the college despite the limited resources.

IGNOU is another feature of College. This Centre is fulfilling the requirement of Education for those who are not able to continue regular studies due to circumstances. New Innovative technologies, ICT are used by the teachers to impart quality Education. Scholarship and fee reimbursement facility is provided to the needy students by social welfare department of U.P. so that they can continue their study without any hindrance.

7.1.16

M.Sc  
B.Voc

**an Values and Professional Ethics**

6 The institutional functioning is as per professional code of prescribed / suggested by statutory b  
de/upload supporting documents

follow the regulations and rules issued by U.G.C., N.C.T.E., and concerned university.

U.G.C. Reg.  
CCS Reg.  
U.P. Govt

URL ~~077127~~ - DC  
KK

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART -III, SECTION 4

File No. NRC/NCTE/NRCAPP -3923/3394/3416/2867/3961/3975/2876/3347/3662,  
/233<sup>rd</sup> (Part -I) Meeting.

Dated: **3 MAR 2015**

89271 - 289

RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition for Teacher Education Courses.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by these institutions, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting-team report including videography and also the reply submitted by the institution against letter of intent under clause 7(1) of the NCTE Regulations, 2014 (earlier 7(9) of the NCTE Regulations, 2009), the Northern Regional Committee in its 233<sup>rd</sup> meeting from February 18, 2015 (Part-I) is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to the following Institutions for conducting Teacher Education Course with an annual intake mentioned against their names from the academic session 2015-2016 under clause 7(1) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below :-

S. No.	File No.	Name of the Institution	Course	Duration	Approved annual intake	Name of the Affiliating Body
1.	NRCAPP-3923	Ch. Surendra Singh B.Ed Mahavidyalaya, Plot/Khasra Number- Khata No. 1757, Gate No. 3044, Street Number- Bahadurpur, Village- Bahadurpur Majhigawan, Post Office- Saurikh, Tehsil/Taluka- Chhibraramau, Town/City- Saurikh, District- Kannauj(UP), State- Uttar Pradesh, Pin Code- 209728	B.Ed.	2 years	100 (2 units)	Chhatrapati Shahaji Maharaj (CSJM) University, Kalyan Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh.
2.	NRCAPP-3394	Meghnath Singh Shishodia Institute of Education and Technology Plot/Khasara No- 1459, Vill- Dhaulana, Post Office- Dhaulana, Tehsil- Dhaulana, Distt- Ghaziabad, Pin Code-245301, UP.	B.Ed.	2 years	100 (2 units)	Choudhary Charan Singh University, University Road, Meerut-200305, Uttar Pradesh
3.	NRCAPP-3416	Shri Jai Narayan Mahila Mahavidhiya Plot No. 71, Khasara NO. 71, Street Number- Beruarbari, Village/Town- Durgapur, Post office- Beruarbari, Tehsil/Taluka- Bansdih, Town/City- Ballia, State- UP, District- Ballia (UP), Pin Code - 277306	B.Ed.	2 years	100 (2 units)	Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi, Uttar Pradesh
4.	NRCAPP-3867	Laxmi Narayan Attar Rani Educational Institute Plot/Khasara No.- 531, Vill- Kurra Chitarpur, Post Office- Kurra Chitarpur, Tehsil- Fatehabad, Distt- Agra, Pin Code- 282002, UP.	B.Ed.	2 years	100 (2 units)	Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Paliwal Park, Agra, Uttar Pradesh.
5.	NRCAPP-3961	SKV Academy, Plot/Khasara No.- 271, Street Number- NH-2, Agra, Village- Dharera, Post Office- Etawah, Tehsil/Taluka- Etawah, Town/City- Agra, District- Agra, Pin Code- 283202, State- Uttar Pradesh	B.Ed.	2 years	100 (2 units)	Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Paliwal Park, Agra, Uttar Pradesh.
6.	NRCAPP-	DTC College, Plot/Khasara No.- 15, Street	B.Ed.	2 years	100	Dr. Bhim Rao

प्राचीन  
मायापती राजनीति महाविद्यालय  
(प्रौद्योगिकी) कालिकृत  
५०३२८१८

प्राचीन  
मायापती राजनीति महाविद्यालय  
(प्रौद्योगिकी) कालिकृत  
५०३२८१८

फ़ाक्टरी : गोर्खा गोपील, जीवन निधि-II, एलआईसी, बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल  
गोर्खा निधि, जयपुर-302 005 (राजस्थान)

फ़ोन : ०१४१-२४४२८८, २७४४६३६, फॅक्स : ०१४१-२७४४१७४

फ़ाक्टरी : गोर्खा गोपील, जीवन निधि-II, एलआईसी, बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल  
गोर्खा निधि, जयपुर-302 005 (राजस्थान)

Office : 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle  
Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)

Jurisdiction : U.P., Uttarakhand, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan  
E-mail : nrc@ncte-india.org, Website : www.ncte-india.org

	2875	Number: H-12, Village: Kherpur, Post Office: Disorsa, Tehsil/Taluk: Jhansi, Town/City: Agra, District: Agra, Pin Code: 282022, State: Uttar Pradesh			12 units	Ambedkar University, Paliwal Park, Agra, Uttar Pradesh.
	NPCAPP-2876	Azad Mahavidyalaya Plot/Number No. 103, Plot No. 103, Street Number-103, Vill- Sanjeev Palika, Post Office- Savitri Palika, Teh/Taluk-Lajpat, Town/City- Azamgarh, Dist- Azamgarh, State- UP, Pin Code- 276305	B.Ed.	2 years	100 (2 units)	Yogi Bhajan Singh Paryavriksh University, Jalandhar, Uttar Pradesh.
3.	NPCAPP-3387	Cm. Alaywood Government Girls Govt. Graduate College, Plot/Number Plot - 426, Gomti Nager, Plot No. - 3/A, Street Number -2/A, Vill- Sanjeev Palika, Post Office- Dheenu Manikpur, Teh/Taluk- Dard, Town/City- Gantotrabadh Nagar, Dist- Gantotrabadh Nagar, State-UP, Pin-283207	B.Ed.	2 years	100 (2 units)	Choudhary Charan Singh University, University Road, Meerut-260005, Uttar Pradesh
4.	NRCAPP-3662	B & Mukhiya Mahavidyalaya Plot/Khusra No-272, Plot No. 272, Street Number-Saideva, Vill-Bawali Mohammadpur, Post Office- Firozabad, Teh/Taluk- Firozabad, Town/City- Firozabad, Dist- Firozabad (UP), State- UP, Pin-283203	B.Ed.	2 years	100 (2 units)	Dr. B.R. Ambedkar University, Paliwal Park, Agra, Uttar Pradesh.

- (i) The institution shall comply with various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time. The Institution shall fulfil the revised Norms relating to infrastructure, instructional facilities, enhanced amount of Endowment and Reserve Fund, Number and qualifications of Teaching Staff, Curriculum and implementation strategies in view of the change in duration/intake of programme(s) offered in the institution within the time limit allowed by NCTE.
- (ii) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(10) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014.
- (iii) The institution shall comply with the condition as laid down in the clause 8(3) of the NCTE Regulations, 2014 which provided that "An institution which has been recognized by the Council shall obtain accreditation from an accrediting agency approved by Council within five year of such recognition."
- (iv) The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.
- (v) As per the provisions of the NCTE Regulations, 2014 the following norms have been prescribed for staff/ qualifications/administrative and professional staff/terms and conditions of service etc.

#### NORMS AND STANDARDS FOR BACHELOR OF EDUCATION PROGRAMME LEADING TO THE BACHELOR OF EDUCATION (B.ED.) DEGREE – Regarding Staff

##### 5.1 Academic Faculty

For an intake of two basic units of 50 students each, that is total students strength of 200, there shall be 16 full-time faculty members.

The distribution of faculty across different curricular areas shall be as under:

25.	Principal / HoD	One
26.	Perspectives in Education	Four
27.	Pedagogy subjects (Maths, Science, Social Science, Language)	Eight
28.	Health and Physical Education	One
29.	Fine Arts	One
30.	Performing Arts (Music/Dance/Theatre)	One

Note: (i) The faculty positions listed under different subject categories may teach courses in the Teacher Education Programme across curricular areas specified, and can cater to both Foundation and pedagogic

*Sd/-*  
ग्रन्थालय  
मध्य प्रदेश सरकारी एवं सहायी  
(प्रोफेशनल) कालिज  
शहरतापुर (गोमतीवृद्धिनगर)